न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– दर्शनसिंह पुत्र दुलासिंह जाति मिरासी निवासी 69 जी.बी. पुलिस थाना रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

––––– अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य।

––––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री रोशन अली — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीतसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 05.03.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.06.2015, जिसमें अपीलांट के पिता स्व.श्री दुलासिंह पुत्र दारीसिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8567/13630/MKS आउट साईडर सं. 89/2013 एडीएम सूरतगढ की एवज में अपीलान्ट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं मानते हुए उसका प्रार्थना पत्र एवं अनुज्ञा पत्र सं0 89/13 निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के मृतक पिता श्री दुलासिंह पुत्र दारीसिंह के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8567/13630/MKS आउट साईडर सं. 89/2013 एडीएम सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर गन सं. 8150/5572ए दर्ज है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज हथियार को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एटीसी) राज. जयपुर/अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर/तहसीलदार, अनूपगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014 में आवेदक को मृतक प्रकरण में लाईसेंस दिया जाना अनुचित होना बताया । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश में उल्लेख किया कि पुलिस द्वारा प्रार्थी को जान–माल का खतरा होने संबंधी रिपोर्ट नहीं दी है तथा भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक V.11016/16/2009–आर्म्स दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्तें पूर्ण नहीं हुई है, के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2015 से अपीलांट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं मृतक पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 8567/13630/MKS आउट साईडर सं. 89/2013 एडीएम सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है। अपीलांट ने अपने मृतक पिता के नाम से जारी शुदा शस्त्र लाईसेंस पर दर्ज 12 बोर गन को अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवा कर दर्ज करवाने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें समस्त वांछित जानकारियॉ, फोटो पहचान पत्र, दस्तावेजात, चरित्र प्रमाण पत्र, एवं शेष वारिसान के सहमति स्वरूप शपथ पत्र आदि संलग्न किये थे। जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने सम्पूर्ण जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगनगर, अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी विशेष शाखा जोन श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक सीआईडी, राज. जयपुर तथा तहसीलदार, अनूपगढ से रिपोर्ट प्राप्त की है। उक्त समस्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014 में भी किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। केवल आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया गया है, जबकि उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक वी.11016/16/2009–आर्म्स दिनांक 31.03.2010 के अनुसार शर्त पूर्ण नहीं होने का आधार लेते हुए अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया तथा मृतक पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को भी निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अविवेक पूर्ण, मनमाना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत व बिना किसी ठोस आधारों के जारी किया गया है, जो काबिले निरस्त है। अपीलांट अपने मृतक पिता के शस्त्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने मृतक पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई एवं गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुए इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.2.14 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई है तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.15 से अपीलांट का आवेदन पत्र एवं अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता दुलासिंह के नाम का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.14 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया गया है। परन्तु इस संबंध में आवेदक के प्रति किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने या चरित्र सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी होने का उल्लेख नहीं है। केवल अनुचित लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अन्य समस्त बिन्दुओं पर पुलिस की समस्त रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है। गृह विभाग भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 में दिये प्रावधानों के संबंध में भी अपीलाधीन आदेश में कोई खुलासा नहीं किया गया है कि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना क्यों अनुचित है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त आधारों पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।
8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर